न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Ant - 2335 - I - 16

प्रकरण क्र.   /2016 निगरानी

दिनांक 18-7-16 को श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभि० द्वारा प्रस्तुत।
18.7.16
50

सुनीता वेवा पंजाब सिंह निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील इंदरगढ़, जिला दतिया (म.प्र.)

.... आवेदिका

विरुद्ध

1. दीपक कुमार पुत्र रामस्वरूप अग्रवाल निवासी भटियारा मौहल्ला, दतिया (म.प्र.)

.... अनावेदक

2. मोहित कुमार
3. चन्द्रपाल सिंह
पुत्रगण पंजाब सिंह निवासीगण ग्राम जैतपुरा, तहसील इंदरगढ़, जिला दतिया (म.प्र.)

.... तरतीबी अनावेदक

प्रदीप श्रीवास्तव एड०
Shrivastav
17.7.2016

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरुद्ध तहसीलदार इंदरगढ़ जिला दतिया के न्यायालयीन प्रकरण क्र. 19/अ-27/14-15 में आदेश दिनांक 20.5.16 निराकरण हेतु।</u>

माननीय महोदय,

आवेदिका की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, अनावेदक ने न्यायालय तहसीलदार इंदरगढ़ जिला दतिया के यहाँ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 178 म.प्र. भू.रा.सं. प्रस्तुत किया।

2. यहकि, अनावेदक की आराजी सर्वे क्रमांक 26 रकवा 0.080 आराजी सर्वे क्रमांक 27 रकवा 1.840 आराजी क्रमांक 128 रकवा 0.800 आराजी क्रमांक 1.62 रकवा 0.410 आराजी क्रमांक 175 0.890 आराजी क्रमांक 176 रकवा 0.040 आराजी क्रमांक 177 रकवा 1.100 कुल किता 7 कुल

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग/2335/एक/2016 जिला-दतिया

सुनीता विरूद्ध दीपक

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-04-2018	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री दुष्यंत सिंह चौहान उपस्थित। 2- यह निगरानी तहसीलदार इंदरगढ़ जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक 19/अ-27/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 20.05.15 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। 3- प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। उनके द्वारा अपने तर्क में मुख्यत: वही तथ्य दुहराए जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें यहां दुहराया जाकर लेखबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु उन पर विचार किया गया है। निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। 4- अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में प्रश्नाधीन आदेश बैधानिक होने से से निगरानी अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। 5- उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा उस पर विचार किया गया। निगरानी में अंकित विन्दुओं तथा तर्क के दौरान उठाए गये तथ्यों के संबंध में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 20.05.15 का भी परीक्षण किया गया। परीक्षण करने पर पाया गया कि अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा प्रकरण में यह आदेश पारित किया गया है कि "प्रकरण पेश। तर्क श्रवण किया गया। प्रकरण आपत्ति के निराकरण हेतु नियत"। तहसीलदार के उक्त प्रश्नाधीन आदेश से वर्तमान में इस स्तर पर किसी भी पक्ष के हित अनुचित रूप से प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं है। प्रकरण मात्र आपत्ति के निराकरण हेतु नियत किया गया है। आपत्ति के निराकरण के पश्चात भी उभयपक्ष को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर उपलब्ध है जहां वे अपनी बात रख सकते हैं। अत: प्रकरण में इस स्तर पर प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 20.05.15 में	

प्रकरण क्रमांक निग/2335/एक/2016 जिला-दतिया

सुनीता विरूद्ध दीपक

किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उभयपक्ष अपना-अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर प्रकरण के गुण दोष पर निराकरण में अधीनस्थ न्यायालय का सहयोग करें। परिणाम स्वरूप निगरानी अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापिस किया जावे। प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
सदस्य